**भारत सरकार**
**रसायन और उर्वरक मंत्रालय**
**औषध विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3268**
**दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

## भेषज क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी

**3268. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दवाओं की उत्पादन लागत, मूल्य निर्धारण, व्यापार मार्जिन और लाभ के संबंध में भेषज क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिक मूल्य वसूलने, अनैतिक मुनाफाखोरी करने या दवा मूल्य निर्धारण मानदंडों के उल्लंघन में संलिप्त पाई गई भेषज कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भेषज कंपनियों द्वारा अत्यधिक विपणन और प्रचार व्यय का दवाओं की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का आवश्यक दवाओं को अधिक किफायती बनाने के लिए ऐसे विपणन और प्रचार खर्चों को विनियमित या सीमित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्य देखभाल और दवाएं देश के सभी नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ रहें, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और विनियमों को अपनाने संबंधी योजनाएं क्या हैं?

**उत्तर**
**रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

**(क):** औषधियों की कीमतें औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाती हैं, जिसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति, 2012 ("एनपीपीपी, 2012") के सिद्धांतों के आधार पर लागू किया गया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) बाजार आंकड़ों पर आधारित डीपीसीओ के प्रावधानों के अनुसार डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट सम्मिश्रणों और डीपीसीओ, 2013 के अनुच्छेद 2(1)(प) के अन्तर्गत यथापरिभाषित नई औषधि के खुदरा मूल्य निर्धारित करता है जो आवेदक विनिर्माता और विपणनकर्ता पर लागू होते हैं, जिन्हें नई औषधि की बिक्री एनपीपीए द्वारा अधिसूचित मूल्य के भीतर करनी होती है। गैर-अनुसूचित सम्मिश्रणों के मामले में, विनिर्माता के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी गैर-अनुसूचित औषधि के एमआरपी में पिछले 12 महीनों के दौरान व्याप्त एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि न करे।

पारदर्शिता के एक उपाय के रूप में, प्रस्तावित संशोधित मूल्य अधिसूचनाओं के लिए मूल्य गणना पत्रक का एक मसौदा संस्करण, हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए 10 कार्य दिवसों के लिए एनपीपीए की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। प्राप्त टिप्पणियों और उक्त समय अवधि के भीतर प्राप्त किसी भी अतिरिक्त डाटा को ध्यान में रखने के बाद ही एनपीपीए अधिकतम मूल्यों और खुदरा मूल्यों को अंतिम रूप प्रदान करता है। इस प्रकार, मूल्य निर्धारण की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, जो प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। एनपीपीए द्वारा जारी सभी मूल्य अधिसूचनाएं इसकी वेबसाइट (https://nppa.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

**(ख):** एनपीपीए, डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करता है और अधिप्रभारन करने और अन्य उल्लंघनों के मामलों में, राज्यों में स्थापित मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाइयों, राज्य औषधि नियंत्रकों, खुले बाजार से खरीदे गए नमूनों, बाजार डेटाबेस से प्राप्त रिपोर्टों और विभिन्न शिकायत निवारण चैनलों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, अधिप्रभारन रोकने के लिए, डीपीसीओ 2013 के तहत प्रत्येक औषधि विनिर्माता को उस औषधि के कंटेनर के लेबल पर अधिकतम खुदरा मूल्य मुद्रित करना अनिवार्य है। साथ ही, किसी भी व्यक्ति को किसी उपभोक्ता को किसी भी औषधि की बिक्री वर्तमान मूल्य सूची में विनिर्दिष्ट मूल्य अथवा कंटेनर या पैक के लेबल पर अंकित मूल्य, जो भी कम हो, से अधिक पर बिक्री करने की अनुमति नहीं है।

**(ग) और (घ):** डॉक्टरों/पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों (आरएमपी) और औषध कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत को विनियमित करके अनैतिक विपणन को रोकने और औषध उत्पादों के उत्तरदायी संवर्धन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, औषध विभाग ने दिनांक 12.03.2024 को औषध विपणन पद्धति एकसमान संहिता, 2024 जारी की है। यह संहिता डॉक्टरों/आरएमपी के बीच औषधियों के प्रचार के बारे में दिशा-निर्देशों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। औषध कंपनियां अपने चिकित्सा प्रतिनिधियों और अन्य कर्मचारियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। यह संहिता औषध कंपनियों द्वारा डॉक्टरों और उनके परिवार के सदस्यों को उपहार, मौद्रिक लाभ और आतिथ्य प्रदान करने पर रोक लगाती है। इसमें औषध कंपनियों के लिए संहिता के अनुपालन की स्वघोषणा करना तथा सतत चिकित्सा शिक्षा और सतत व्यावसायिक विकास के लिए आयोजित सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं से संबंधित व्यय का खुलासा करना अपेक्षित है। कंपनियों को स्वतंत्र, यादृच्छिक अथवा जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। इस संहिता में दो-स्तरीय शिकायत निपटान प्रक्रिया स्थापित की गई है, जिसमें अपील का निपटान औषध विभाग द्वारा किया जाता है। इस संहिता के अंतर्गत दंड में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) औषध इकाई को फटकार लगाना तथा उसका पूरा विवरण प्रकाशित करना;

(ii) औषध इकाई द्वारा संहिता का उल्लंघन करके दिए गए धन या वस्तुओं की वसूली संबंधित व्यक्तियों से करना तथा संहिता के अंतर्गत की गई कार्रवाई की सूचना आचार समिति को देना;

(iii) मीडिया में सुधारात्मक विवरण जारी करना, यदि उसमें जारी की गई प्रचार सामग्री संहिता में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है; तथा

(iv) औषध कंपनियों को संहिता के अभिशासन के दौरान पाए गए उल्लंघनों के आधार पर संबंधित सरकारी विभागों द्वारा मौजूदा कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

औषधि कंपनियों द्वारा प्रचार गतिविधियों पर किए गए व्यय को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर कटौती योग्य होने के लिए, यह आवश्यक है कि यह व्यय औषध विपणन कार्यकलापों संबंधी एकरूप संहिता, 2024 में निहित दिशानिर्देशों और भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुरूप हो। इस प्रकार, औषधि कंपनियों द्वारा किए गए प्रचार व्यय विनियमन के अधीन हैं।

**(ङ):** डीपीसीओ, 2013 के तहत औषधियों की कीमतों को विनियमित करने के अलावा, सरकार द्वारा आम आदमी को किफायती दरों पर औषधियों की उपलब्धता में सुधार के लिए कई अन्य उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना योजना शुरू की है जिसके तहत 20,000 से अधिक जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियां ब्रांडेड औषधियों की तुलना में आमतौर पर 50% से 80% वहनीय दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत, द्वितीयक या तृतीयक परिचर्या अस्पतालीकरण के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य आश्वासन/बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिसमें औषधियां भी शामिल हैं।

(iii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निःशुल्क औषधि सेवा पहल के अंतर्गत, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के तहत अनुशंसित आवश्यक औषधियों की सूची देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) से लेकर जिला अस्पतालों तक के जन स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

(iv) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अमृत (उपचार के लिए किफायती औषधियां और विश्वसनीय प्रत्यारोपण) पहल के तहत, कैंसर, हृदयवाहिका रोग और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए किफायती औषधियां, प्रत्यारोपण, सर्जिकल डिस्पोजेबल सामग्रियां और अन्य उपभोज्य वस्तुएं आदि, बाजार दरों पर औसतन 50% तक की छूट पर अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित अमृत फार्मेसी स्टोरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

(v) राष्ट्रीय आरोग्य निधि और स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान की व्यापक योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित गरीब मरीजों, जो कैंसर सहित प्रमुख जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****